भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1012
उत्तर देने की तारीख-10/02/2025

स्कूली शिक्षा को सुदृढ़ करना

†1012. **श्री चरनजीत सिंह चन्नी:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास विगत दस वर्षों के दौरान खोले गए बालिका विद्यालयों के संबंध में कोई आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ख) क्या सरकार का स्कूली शिक्षा को सुदृढ़ करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (डीओएसईएल), ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदान किए गए स्कूल शिक्षा के संकेतकों पर डेटा रिकॉर्ड करने हेतु शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस (यूडाइज़+) विकसित की है। यूडाइज़+ के अनुसार, वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक स्थापित लड़कियों के स्कूलों और सह-शिक्षा स्कूलों की कुल संख्या क्रमशः 1837 और 116065 है।

(ख): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकार क्षेत्र में हैं। केंद्र सरकार केंद्र प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा के माध्यम से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करती है, जो एनईपी 2020 के साथ भी अनुकूलित है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी बच्चों को एक समान और समावेशी कक्षा के वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, जिसमें उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखा जाए और उन्हें अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया जाए। एनईपी, 2020 सभी के लिए पहुंच और समावेशिता सुनिश्चित करने पर आधारित है और इसका लक्ष्य वर्ष 203 तक पूर्व-प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक 100% सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) प्राप्त करना है। स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर लैंगिक अंतर को पाटना समग्र शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में

से एक है। समग्र शिक्षा के तहत लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं। इनमें राज्य द्वारा निर्धारित पड़ोस में स्कूल खोलना, कक्षा आठ तक की लड़कियों को नि:शुल्क यूनिफार्म पाठ्य-पुस्तकें, सभी स्कूलों में लिंग के आधार पर अलग-अलग शौचालयों का प्रावधान, कक्षा छह से बारह तक की लड़कियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण का प्रावधान, कक्षा एक से कक्षा बारह तक की सीडब्ल्यूएसएन लड़कियों को वजीफा, अन्य बातों के अलावा समानता के लिए विशेष राज्य विशिष्ट परियोजनाएँ जैसे जीवन कौशल, जागरूकता कार्यक्रम, भस्मक, सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन आदि और माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण शामिल हैं।

इसके अलावा, स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर लड़कियों के नामांकन को बढ़ाने के लिए, समग्र शिक्षा के तहत, शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) का प्रावधान है, जहाँ ग्रामीण महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है। केजीबीवी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जैसे वंचित समूहों की लड़कियों के लिए कक्षा 6 से 12 तक के आवासीय विद्यालय हैं।

*****